प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस. मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, S.B.S. Marg, Fort, Mumbai - 400 001
फोन/Phone: 022 - 2266 0502

27 जुलाई 2022

बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ (उ.प्र)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ (उ.प्र) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 28 जुलाई 2022 से 27 अक्तूबर 2022 तक तीन (3) माह के लिए बढ़ा दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत 28 जनवरी 2022 को जारी निदेश डीओएस.सीओ.ओसीसीडी/185569/12.28.007/2021-22 द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2022 से निदेशाधीन है।

निदेश, जो 27 जुलाई 2022 तक के लिए जारी किए गए थे, की वैधता अवधि को दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश आदेश डीओआर.एमओएन.सं.डी-21/12.28.007/2022-23 द्वारा 28 जुलाई 2022 से 27 अक्तूबर 2022 तक तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

आरबीआई द्वारा उक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि आरबीआई द्वारा बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/600